जनपद बागेश्वर में राज्य योजना के अन्तर्गत असौं से बसकूना मोटर मार्ग के निर्माण लम्बाई 4.00 किमी0

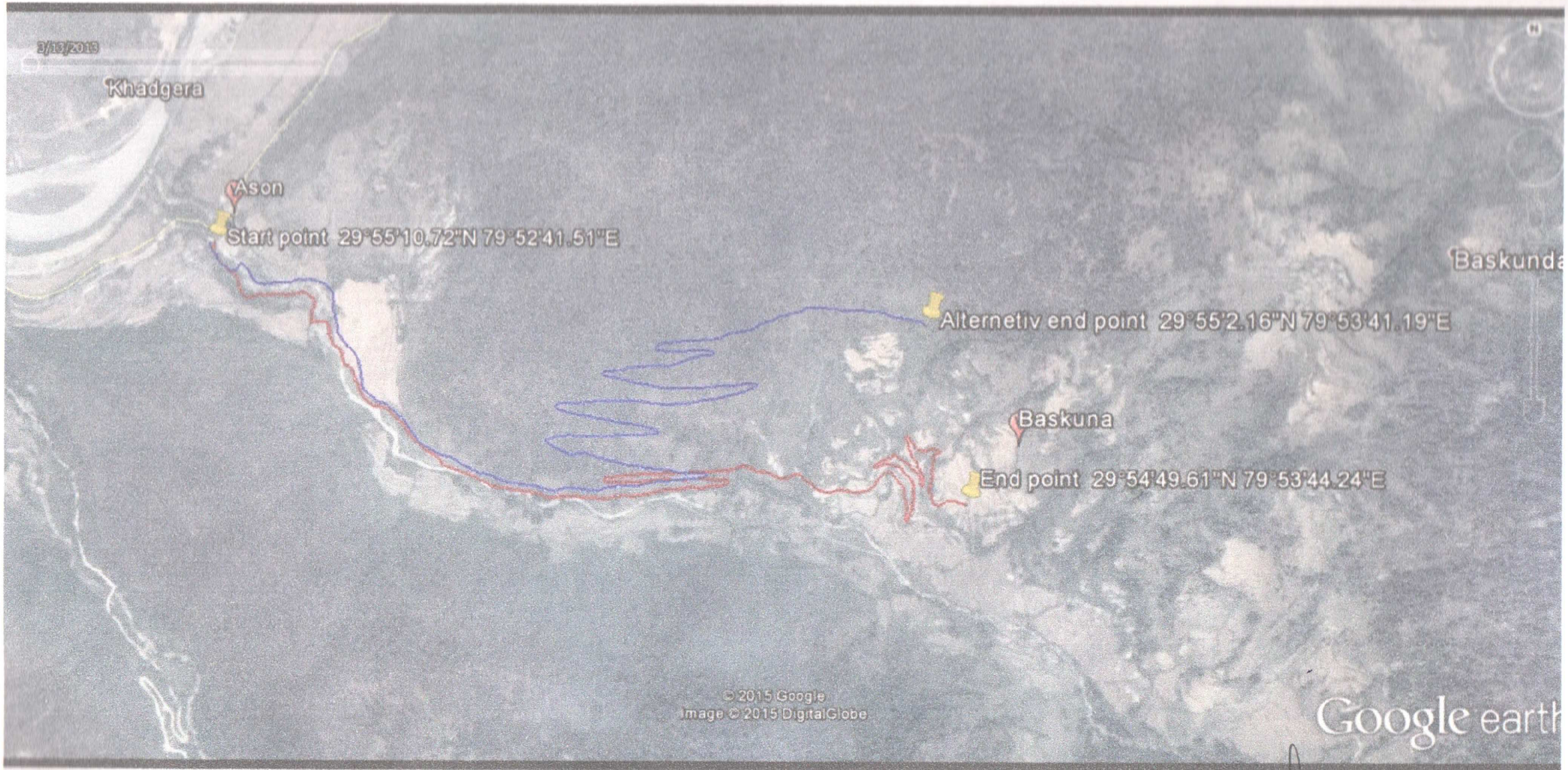

Proposed Road Alignment
Alternate Road Alignment

J.E.

सहायक ... निर्माण खण्ड ... कपकोट

अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो० नि० वि० कपकोट (बागेश्वर)

जिला ... बागेश्वर

A.1.5

NOTE FOR JUSTIFICATION

परियोजना का नाम :– जनपद बागेश्वर में राज्य योजनाके अन्तर्गत असौं से बसकूना मोटर मार्ग के निर्माण हेतु उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

उक्त प्रस्तावित मोटर मार्ग बागेश्वर–कपकोट–शामा–तेजम मार्ग के किमी0 18 से प्रारम्भ होता है जो बसकूना ग्राम को जोडता है। नरगडा की आबादी 287 है। प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण से ग्रामवासियों को यातायात की सुविधा होगी। वर्तमान में गांव की महिलायें पानी, लकडी, चारा आदि लेने के लिए दूर जाती है। मार्ग निर्माण के पश्चात बहुमूल्य समय बचेगा साथ ही वे अपने घर और बच्चों को अधिक समय दें पायेगी। गांव मे चिकित्सालय तथा विद्यालय खुलने के लिए नए अवसर मिलेंगे। ग्रामवासी अपने उत्पादित फल सब्जी, अनाज आदि को बाजार तक बिना किसी कठिनाई से ले जा पायेंगे साथ ही गॉव विकास की ओर अग्रसर होगा एवं स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान होंगे।

यह संरेखण सिविल सोयम, वन पंचायत एवं नाप भूमि से होकर गुजरता है। अन्य किसी श्रेणी की भूमि प्रभावित नहीं होती हे। संरेखण के अन्तर्गत कोई मकान, मस्जिद, कब्रिस्तान का भाग नहीं आता है।

उक्त मोटर मार्ग की लम्बाई 4.00 किमी0 तथा मार्ग की चौड़ाई 7.00 मी0 ली गई है। मार्ग के निर्माण में 0.70 हैक्टेयर सिविल भूमि एवं 0.70 हैक्टेयर वन पंचायत भूमि प्रभावित होती है। उक्त प्रयोजनार्थ इस भूमि हेतु न्यूनतम संरेखणों पर विचार किया गया है।

<u>संरेखन नं0–1</u> इस समरेखन के अनुसार इस मार्ग का संरेखन कपकोट शामा तेजम मोटर मार्ग के किमी0 18 से प्रारम्भ होता है मार्ग कि लम्बाई 4.00 किमी0 है तथा निर्माण की लागत कम है। मार्ग में 6 हेयरपिन बैण्ड पड़ते हैं। तकनिकी दृष्टि से ग्रेड सही मिलता है। लम्बाई कम है तथा इस संरेखन के अनुसार मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ग्रामवासी एवं जनप्रतिनिधि सहमत हैं। वृक्षों की संख्या कम है।

<u>संरेखन नं0–2</u> इस समरेखन के अनुसार इस मार्ग का संरेखन स्थल कपकोट शामा तेजम मोटर मार्ग के किमी0 19 से प्रारम्भ होता है मार्ग कि लम्बाई 4.00 किमी0 आती है। मार्ग की लम्बाई अधिक होने के कारण निर्माण की लागत अधिक आती है। इस संरेखन मे अधिक वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। मार्ग में 8 हेयरपिन बैण्ड आते हैं, तकनिकी दृष्टि से ग्रेड नहीं मिलता तथा संरेखन के अनुसार मोटर मार्ग निर्माण में ग्रामवासियों की वनपंचायत की इमारती लकड़ी का अधिक नुकसान हो रहा है। जिससे ग्रामवासी एवं जनप्रतिनिधि सहमत नहीं हैं।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए संरेखन नं0–2 को निरस्त कर संरेखन नं0–1 को अधीक्षण अभियन्ता द्वारा अनुमोदित किया गया है। उक्त मोटर मार्ग के निर्माण में सिविल भूमि 0.70 है0 एवं वन पंचायत 0.70 है0 भूमि प्रभावित होती है, जो न्यूनतम है। मोटर मार्ग की लम्बाई 4.00 किमी0 चौड़ाई 7.00 मी0 में ली गयी है एवं मोंटर मार्ग का निर्माण करने से पूर्व यह प्रस्ताव गठित कर स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

अतः प्रभावित वनभूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव स्वीकृत करने की कृपा करें।

कनिष्ठ अभियन्ता,	सहायक अभियन्ता,	अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
कपकोट	कपकोट	कपकोट